तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य** उपस्थित– श्री गजेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट रेस्पोडेन्ट्स की तरफ से कोई भी हाजिर नहीं **निर्णय दिनांक : 14.02.2019** 1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 11–9–2006 को अपील संख्या 3/2001 में पारित निर्णय के विरूद्ध पेश की गई है। 2. दिनांक 25–1–2019 को बहस सुनी गई थी, उस रोज रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं था जबकि पूर्व में उनके अधिवक्तागण उपस्थित आए थे। 3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में यह बतलाया है कि दिनांक 9–9–1975 को भू आवंटन सलाहकार समिति ने वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नंबर 24 मिन रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम काली पहाडी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 के पिता/पति अर्जुन को आवंटित की थी। इस आवंटन को अपीलांट्स ने अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के न्यायालय में उक्त नियमों के नियम 14 (4) के तहत दरख्वास्त पेश कर यह कहते हुए चुनौती दी थी कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा है, उन्होंने ही इस भूमि को काबिल काश्त बनाया है। इस भूमि पर वे अपने मवेशी बांधते हैं तथा इस भूमि को बाडे के काम में भी ले रहे हैं। अपीलांट्स ने अपना आवेदन पत्र भलीभांति साबित किया था, फिर भी विचारण न्यायालय ने वह दरख्वास्त अवैधानिक रूप से खारिज कर दी थी। इस आदेश को प्रथम अपील न्यायालय में चुनौती दी गई किन्तु वह अपील भी अवैधानिक रूप से खारिज कर दी गई थी। विद्वान अधिवक्ता की यह भी दलील है कि यह भूमि अपीलांट्स के पिता के नाम गैर खातेदारी में दर्ज हुई थी तत्पश्चात् उनके पिता आराजी मुतनाजा के खातेदार काश्तकार हो गए थे। हीरालाल की मृत्यु के बाद अपीलांट्स इस भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। किन्तु राजस्व रिकार्ड व नक्शे की गलती की वजह से रेस्पोडेन्ट्स संख्या	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1 से 3 इस भूमि को अपनी बतला रहे हैं। यह सभी तथ्य प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी स्पष्ट कर दिये गये थे किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों एवं विधि की अनदेखी करते हुए अपीलांट्स के क्लेम को स्वीकार नहीं किया। अतः निवेदन किया है कि आक्षेपित निर्णयों को अपास्त किया जाकर अपीलांट्स की दरख्वास्त स्वीकार की जाए तथा रेस्पोडेन्ट्स के आवंटन को खारिज किया जाए। 4. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। 5. विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भूमि रेस्पोडेन्ट्स के पिता/पति को विधिनुसार आवंटित होने की स्पष्ट फाइन्डिंग दी है। ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि मृतक अर्जुन ने यह भूमि fraud या misrepresentation करके आवंटित करवायी हो बल्कि अपीलांट्स का एकमात्र अभिवाक वादग्रस्त भूमि पर उनका पुराना कब्जा होना है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को भी भलीभांति Deal with किया है तथा यह स्पष्ट फाइन्डिंग दी है कि रेस्पोडेन्ट्स का इस भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा तथा इसलिए केवल मात्र कब्जा होने का कथन करने के आधार पर अर्जुन को भूमि आवंटित करने के विधिवत रूप से जारी किये गये आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय के इन निष्कर्षों की प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पुष्टि की है। इन दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है और ना ही दोनों न्यायालयों ने अधिकारिता से परे जाकर किसी प्रकार का निर्णय पारित किया है। इस अपील के माध्यम से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील काबिले खारिज है। 6. लिहाजा यह अपील खारिज की जाती है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। **(राजेन्द्र कुमार)** **सदस्य**	